

ब-अदालत अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

आर0ई0आर केस सं0-45 / 2021-22

जुबेदा खातुन बनाम् हलीम वगै0

-: आदेश :-

02-2023

वर्तमान वाद आवेदिका जुबेदा खातुन, पे0-स्व0 शेख हाडो, पति-मो0 ताहिर साकिन-सोनागुजी (नयाटोला), थाना-बलबडडा, अंचल-मेहरमा, जिला-गोड्डा द्वारा समर्पित आवेदन, जो मौजा-मधुरा नं0-398, जमाबंदी नं0-07/क, दाग नं0-997, रकवा 00-07-00 धूर भूमि से विपक्षी (1) हलीम, पे0-फदुली, (2) फदुली, पे0-स्व0 घिगा, दोनों साकिन-मधुरा, थाना-बलबडडा, अंचल-मेहरमा, जिला-गोड्डा को उच्छेद करते हुए दखल दिलाने का अनुरोध को लेकर प्रारंभ किया गया। तदनुसार उभय पक्षों को नोटिस निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, मेहरमा से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिकारियों को सुनने, अंचल अधिकारी, मेहरमा के पत्रांक-602/रा0, दिनांक-09.09.2022 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं अभिलेख में संलग्न दस्तावेजों के अवलोकनोपरान्त पाया कि प्रासंगिक भूमि का सर्वे खतियान पर्चा के दखल कैफियत में शेख लाल मोहम्मद दर्ज है। उक्त खेसरा पर आवेदिका जुबेदा खातुन के पूर्वज दखलकार नहीं है, जिससे आवेदिका का दावा वैध नहीं है।

अतः आवेदिका का आवेदन को खारिज करते हुए वाद की कार्रवाई बंद की जाती है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

28.02.23

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

28.02.23

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

Seen
Tah

Seen
Nkumar